बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

राज्य की दोनों वितरण कम्पनियों यथा–नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु "पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना" (Revamped Distribution Sector Scheme)-RDSS अंतर्गत 'लॉस रिडक्शन' (Loss Reduction) घटक के कुल प्रस्तावित राशि 7,305.05 करोड़ (सात हजार तीन सौ पाँच करोड़ पाँच लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 7,081.05 करोड़ (सात हजार इक्यासी करोड़ पाँच लाख) रूपये की 60:40 वित्तीय पोषण के तहत् 60% अर्थात् 4,248.63 करोड़ (चार हजार दो सौ अड़तालीस करोड़ तिरसठ लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 3,056.42 करोड़ (तीन हजार छप्पन करोड़ बयालिस लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा दोनों वितरण कम्पनियों को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में राज्य की दोनों वितरण कम्पनियों यथा–नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु "पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना" (Revamped Distribution Sector Scheme)-RDSS अंतर्गत 'लॉस रिडक्शन' (Loss Reduction) घटक के कुल प्रस्तावित राशि 7,305.05 करोड़ (सात हजार तीन सौ पाँच करोड़ पाँच लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 7,081.05 करोड़ (सात हजार इक्यासी करोड़ पाँच लाख) रूपये की 60:40 वित्तीय पोषण के तहत् 60% अर्थात् 4,248.63 करोड़ (चार हजार दो सौ अड़तालीस करोड़ तिरसठ लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 3,056.42 करोड़ (तीन हजार छप्पन करोड़ बयालिस लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा दोनों वितरण कम्पनियों को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(संजीव हंस)
सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी)

प्रेस नोट

बिहार पुलिस की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि एवं उग्रवादियों व संगठित अपराधियों के विरूद्ध छापेमारी में त्वरित कार्रवाई तथा अपराध नियंत्रण, उग्रवाद निरोध एवं विधि–व्यवस्था संधारण में अपेक्षित सहायता हेतु भारतीय सेना से सेवानिवृत सैनिकों को अनुबंध पर प्राप्त कर, बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस **(Special Auxiliary Police)** में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल कार्यरत बल 3953 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिये विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है।

सरकार के संयुक्त सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
गृह विभाग (कारा)

3

प्रेस नोट

बिहार राज्य में 01 प्रोबेशन निदेशालय, 09 प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, 29 जिला प्रोबेशन कार्यालय एवं 18 अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय अर्थात कुल 57 प्रोबेशन कार्यालय अधिष्ठापित हैं। उन कार्यालयों में लिपिकीय कार्य हेतु पूर्व से 57 निम्न वर्गीय लिपिक एवं 10 उच्च वर्गीय लिपिक का पद स्वीकृत है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रोबेशन कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों द्वारा स्थापना, प्रशासनिक सहयोग, लेखा, बंदियों से संबंधित अन्य कार्य, माननीय न्यायालय से प्राप्त पूर्व दण्डादेश एवं किशोर न्याय परिषद से प्राप्त सामाजिक जाँच प्रतिवेदन, पर्यवेक्षण प्रतिवेदन, संचिकाओं का उचित संधारण, जाँच प्रतिवेदन की तैयारी, लोक सूचना एवं लोकायुक्त से प्राप्त पत्रों का निष्पादन किया जाता है। इस तथ्य को दृष्टिपथ रखते हुए प्रोबेशन कार्यालयों में कार्यों के सुगम निष्पादन हेतु लिपिकों की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रोबेशन कार्यालयों को सुदृढ़ बनाने एवं कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप 97 निम्नवर्गीय लिपिक, 30 उच्च वर्गीय लिपिक तथा 10 प्रधान लिपिकों अर्थात कुल 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है। प्रोबेशन कार्यालयों के लिए स्वीकृत किये जाने वाले पदों पर अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार रूपया 5,25,06,324/–(पाँच करोड़ पच्चीस लाख छः हजार तीन सौ चौबीस रूपये) मात्र है।

26/9/22

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

(4)

प्रेस नोट

पंचायती राज विभाग अंतर्गत जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के नियंत्रणाधीन बिभिन्न मदों से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिसमें प्रतिस्थापित नियमों के अधीन योजनाओं के कार्यान्वयन, गतिशीलता एवं अनुश्रवण हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ''बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021'' द्वारा प्रतिस्थापित 'धारा–60' की 'उप–धारा(1)' एवं 'धारा–87' की 'उप–धारा(1)' को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय संकल्प सं०–4599 दिनांक–19.07.219 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को क्रमशः ₹30.00 लाख एवं ₹1.00 करोड़ की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रत्यायोजित प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति को क्रमशः कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को प्रदान की जा रही है।

अतः प्रस्ताव है कि :–

(क) ''बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006'' (अधिनियम 6, 2006) के अनुसंगिक ''बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021'' की 'धारा–60' की 'उपधारा–(1)' को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय संकल्प–4599 दिनांक–19.07.2019 की कंडिका द्वारा ₹30.00 लाख तक की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रशासनिक शक्ति जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी में प्रत्यायोजित है के स्थान पर कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति में प्रत्यायोजित की जा रही है।

(ख) ''बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006'' (अधिनियम 6, 2006) के अनुसंगिक ''बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021'' की 'धारा–87' की 'उपधारा–(1)' को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय संकल्प–4599 दिनांक–19.07.2019 की कंडिका द्वारा ₹1.00 करोड तक की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रशासनिक शक्ति जो उप विकास आयुक्त में प्रत्यायोजित है के स्थान पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् में प्रत्यायोजित की जा रही है। विभागीय संकल्प–4599, दिनांक–19.07.2019 में वर्णित शेष प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

5

प्रेस नोट

मद्यनिषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु "बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा" के विभिन्न कोटि के कुल 905 (नौ सौ पाँच) अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

पदों की स्वीकृति से पटना जिला में छः चलिष्णु दल, पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, पालीगंज, मसौढ़ी, भागलपुर में दो (भागलपुर, नवगछिया) तथा प0 चम्पारण में दो (बेतिया, बगहा) तथा शेष जिलों (अरवल, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, शेखपुरा एवं शिवहर को छोड़कर) में एक–एक चलिष्णु दल गठित की जा सकेगी। इससे नियमित छापेमारी एवं शराब माफियाओं के विरूद्ध सघन कार्रवाई की जा सकेगी। राज्य के सीमावर्त्ती जिलों में कार्यरत कुल 16 (सोलह) जाँच चौकी में पर्याप्त पदाधिकारी एवं मद्यनिषेध सिपाही का पदस्थापन हो सकेगा, जिससे 24X7 तीन शिफ्ट में लगातार जाँच कार्य हो सकेगा। साथ ही राज्य में कार्यरत 15 आसवनियों का सुपरविजन एवं कंट्रोल विभाग द्वारा नियमित रूप से किया जा सकेगा।

(के0 के0 पाठक)
अपर मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

(6)

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

"प्रेस नोट"

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर में सहायक प्राध्यापक (फार्मेसी), सह–प्राध्यापक (फार्मेसी) एवं प्राध्यापक (फार्मेसी) की सीधी नियुक्ति हेतु फार्मेसी संकाय की अर्हता, अनुभव एवं वेटेज स्कीम को जोड़ने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 के परिशिष्ट–01 की तालिका–1, 2 एवं 3 में संशोधन किये जाने एवं प्रस्तावित बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई।

सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

23/9/2022

(14)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

वित्तीय वर्ष 2022–23 में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन हेतु ₹4,00,00,000/– (चार करोड़ रूपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति एवं निकासी का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

10.10.22

(राम शंकर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(8)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या ...../2022 (एस0एल0पी0 (सी) संख्या–7781/2021 से उद्भूत), सुनील कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 12.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री सुनील कुमार वर्मा को जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) बार से सीधी भर्त्ती परीक्षा, 2016 के अंतर्गत पुनः नियुक्त करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

हस्ताक्षर– 10.10.2022

नाम–(डॉ० बी० राजेन्दर)

पदनाम–सरकार के प्रधान सचिव।

(9)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संचिका संख्या – 15/एम 1–121/2017

प्रेस नोट

शिक्षा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2058 दिनांक 19.11.2018 तथा स्वीकृत्यादेश संख्या 1159 दिनांक 27.05.2019 द्वारा राज्य के 22 स्थापित/स्थापना हेतु प्रस्तावित सरकारी महाविद्यालयों के लिए पूर्व में सृजित किए गए कुल 1420 शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों का प्रत्यर्पण तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 1420 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पदों के सृजन के फलस्वरूप नवस्थापित महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी, जिससे इन महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से क्रियान्वित होंगे तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि होगी।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

प्रेस नोट

राज्य के समग्र एवं समावेशी विकास की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 दिनांक–01.09.2016 के प्रभाव से लागू की गई है जो 31.03.2025 तक प्रभावी है। राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन नीति को और प्रभावी बनाने के लिए नीति में कुछ संशोधन किए गए हैं।

1.वर्तमान में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(बियाडा) द्वारा नियंत्राधीन औद्योगिक क्षेत्रों में विर्निमाण करने वाली इकाइओं (Manufacturing Sector) को जमीन आवंटित की जाती है। नीति में संशोधन करते हुए सेवा प्रक्षेत्र (Service Sector) में निम्नलिखित इकाइओं को जमीन आवंटित करने हेतु प्रावधान किया गया है।

a) आई०टी० पार्क (डिजाईन एवं डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, कॉल सेन्टर, ऑनलाईन परीक्षा केन्द्र एवं इलेक्ट्रॉनिक फेब्रिकेशन)
b) स्टार्ट अप को–वर्किंग स्पेस एवं स्टार्ट अप हब।
c) ग्रेट–ए वेयरहाउस एवं लॉजिस्टिक पार्क (बियाडा द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप)
d) रिसर्च लैब/ टेस्टिंग लैब।

2.वर्ष 2016 की नीति में औद्योगिक संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि जिन इकाइओं द्वारा इस नीति के पूर्व किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि प्राप्त किया गया हो, उन्हें भी वर्तमान नीति में उन मदों के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जा सकेगा, जो उन्होंने पूर्व में प्राप्त नहीं किये हों।

3. 200 (दो सौ) करोड़ से अधिक परियोजना लागत वाली इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष कर दी गयी है। परन्तु उन्हें विस्तारित अवधि प्राप्त प्रोत्साहन राशि को राज्य में इस इकाई अथवा अन्य इकाई में पुनः निवेश करना होगा।

4. 2(दो) करोड़ से कम निवेश प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य प्रोत्साहन निवेश बोर्ड सचिवालय को प्राधिकृत किया गया है।

10/10/

(संदीप पौण्डरीक)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

11

प्रेस नोट

राज्य में अनियमित मॉनसून/सूखे/अल्पवृष्टि से उत्पन्न सुखाड़ जैसी स्थिति में फसलों के सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष–2022–23 में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से पूर्व में स्वीकृत 8995.00 लाख (नवासी करोड़ पन्चानवे लाख) रूपये के अतिरिक्त कुल 1,0000.00 लाख (एक सौ करोड़) रूपये अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 में किया जाएगा।

फसलों को आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करने पर उत्पादन में वृद्धि होगी। अनियमित मॉनसून/सूखा की स्थिति में आच्छादित फसलों में डीजल अनुदान येाजना से सुखे के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रति लीटर डीजल पर देय अनुदान 75 (पचहत्तर) रूपये ही होगी। तदानुकूल खरीफ फसलों के एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान के अनुसार 75 रूपये प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 750 रूपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से अनुदान अनुमान्य होगा। एक किसान को जूट हेतु दो सिंचाई के लिए 750 रूपये प्रति एकड़ की दर से तथा धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे हेतु एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान अनुमान्य होगा।

12.10.22

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

12

प्रेस नोट

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई सृजन, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाता हैं। सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत डैम/बराज से निःसृत नहर प्रणालियों के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। जबकि बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण की योजनाओं के अंतर्गत नदी तथा प्राकृतिक नालों के किनारों पर तटबंध, एंटी फ्लड स्लुईस तथा ड्रेनेज चैनल इत्यादि का निर्माण किया जाता है। जल संसाधन विभाग के उपरोक्त कार्यों के कार्यान्वयन हेतु बृहद स्तर पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ती है। आवागमन की बेहतर सुविधा के लिए तटबंधो तथा नहरों के किनारों पर सड़कों का निर्माण भी कराया जाता है, जिसके लिए भी भू–अर्जन की आवश्यकता पड़ती है। नये उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः बन्दोवस्ती में पारदर्शिता अधिनियम–2013 के लागू होने के उपरांत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अधिक श्रम साध्य हो गई है। उक्त अधिनियम में सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA Work) एवं पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के कारण भू–अर्जन का कार्य काफी जटिल हो गया है। साथ ही विभाग की योजनाओं हेतु बिहार रैयती भूमि लीज नीति–2014 के तहत भी रैयती भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई की जाती है।

उपर्युक्त नये उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः बन्दोवस्ती में पारदर्शिता अधिनियम 2013 एवं बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत की जा रही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई/भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई का मुख्यालय स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वय, अनुश्रवण तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन में समुचित सहयोग हेतु भूमि अधिग्रहण मामलों के जानकार एवं विशेषज्ञों का ''भू–अर्जन कोषांग'' गठित करना आवश्यक है।

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण मामलों के अनुश्रवण एवं समन्वय, विभागीय परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण/संरक्षण एवं विभिन्न विभागों से भूमि हस्तांतरण मामलों के समन्वय आदि कार्यों हेतु सेवानिवृत कर्मियों की संविदा आधारित सेवा लेने हेतु भू–अर्जन विशेषज्ञ के 02 (दो) पदों के सृजन के उपरांत उक्त विभागीय कार्यों को सुचारू तरीके से कार्यान्वित किये जाने में सहयोग मिलेगा एवं भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया त्वरित गति से हो सकेगी।

12/10

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

13

प्रेस नोट

राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्री–पेड मीटर लगाने हेतु केन्द्रीय उपक्रमों यथा–पावर फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड के साथ–साथ बिहार की दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा भी OPEX अथवा हाईब्रीड मॉडल (CAPEX+OPEX) के तहत कार्यान्वित करने की 11,100 करोड़ (ग्यारह हजार एक सौ करोड़) रूपये की स्वीकृत योजना के स्थान पर कुल 15,074.12 करोड़ (पंद्रह हजार चौहत्तर करोड़ बारह लाख) रूपये की पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति एवं तद्नुसार पुनरीक्षित राशि का 30% अर्थात् 4522.24 करोड़ (चार हजार पाँच सौ बाईस करोड़ चौबीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर दोनों वितरण कम्पनियों को नाबार्ड (NABARD) से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि में से वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 1,100.00 करोड़ (एक हजार एक सौ करोड़) रूपये की ऋण की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्री–पेड मीटर लगाने हेतु केन्द्रीय उपक्रमों यथा–पावर फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड के साथ–साथ बिहार की दोनों वितरण कम्पनियों द्वारा भी OPEX अथवा हाईब्रीड मॉडल (CAPEX+OPEX) के तहत कार्यान्वित करने की 11,100 करोड़ (ग्यारह हजार एक सौ करोड़) रूपये की स्वीकृत योजना के स्थान पर कुल 15,074.12 करोड़ (पंद्रह हजार चौहत्तर करोड़ बारह लाख) रूपये की पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति एवं तद्नुसार पुनरीक्षित राशि का 30% अर्थात् 4522.24 करोड़ (चार हजार पाँच सौ बाईस करोड़ चौबीस लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर दोनों वितरण कम्पनियों को नाबार्ड (NABARD) से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि में से वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 1,100.00 करोड़ (एक हजार एक सौ करोड़) रूपये की ऋण की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

13/10/22

(संजीव हंस)
सरकार के प्रधान सचिव।

(14)

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
प्रेस नोट

भारतवर्ष के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी एवं सम्पूर्णक्रांति के अग्रदूत लोकनायक जयप्रकाश नारायण का स्थान भारतीय राजनीति के शिखर पर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त उनका सम्पूर्ण जीवन समाजवाद एवं लोक कल्याण को समर्पित रहा। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से निजात पाने एवं राजनीतिक सुचिता तथा शिक्षा में क्रांति के लिए उन्होंने 'सम्पूर्ण क्रान्ति' का आह्वान किया, जो "जे० पी० आन्दोलन" के नाम से विख्यात है। इस महान राजनेता का निधन 08 अक्टूबर, 1979 को पटना में हुआ। मरणोपरान्त वर्ष 1998 ई० में इन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति अक्षुण्ण रखने के लिए उनके सम्मान में प्रतिवर्ष 08 अक्टूबर को गाँधी मैदान, पटना के दक्षिण–पश्चिम छोर पर स्थित उनके प्रतिमा स्थल पर उनकी पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने सम्बंधी निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक 07.10.2022 की घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव है।

13/10

(निशीथ वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

15

प्रेस नोट

वित्त विभाग

सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2022 के प्रभाव से 34% के स्थान पर 38% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

17/10/2022

2/57

16

<u>बिहार सरकार</u>

<u>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग</u>

सं0–5 / निदे0महा0वि0–56–03 / 2015–

<u>प्रेस नोट</u>

राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण में ₹ 88,48,20,000/– (अठासी करोड़ अड़तालीस लाख बीस हजार रूपया) से सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड के निर्माण योजना हेतु अद्यतन अनुसूची दर (S.O.R) पर प्राप्त पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रति इकाई पाईल फाउंडेशन के साथ ₹ 29,66,000/– (उनतीस लाख छियासठ हजार रूपया) एवं ओपेन फाउंडेशन के साथ ₹ 28,94,200/– (अठाईस लाख चौरानवे हजार दो सौ रूपया) की दर से निर्माण कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति।

मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक–962 दिनांक 19.05.2022 द्वारा भवन निर्माण विभाग के अद्यतन अनुसूची दर (S.O.R) पर प्राप्त पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन रहने के कारण लागत दर में वृद्धि हुई है, जो अनुज्ञेय सीमा से अधिक है।

सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड के निर्माण की योजना से महादलित बहुलता वाले पंचायतों में सामाजिक कार्यों के निर्वहन के साथ–साथ बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल–कूद की गतिविधियों में लाभ होगा।

12/10/22

(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव

17

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस नोट ।।

वर्ष 2022 में सूखाग्रस्त जिलों के प्रभावित प्रखण्डों के प्रभावित पंचायतों के ग्रामों के सभी प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता के रूप में DBT के माध्यम से आनुग्रहिक राहत सीधे लाभुकों के बैंक खाते में राशि उपलब्ध कराई जानी है। इस हेतु कुल रु0 600.00 करोड़ (छः सौ करोड़ रूपये) का व्यय आकलित है तथा वर्त्तमान में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–01–101–0001– निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान के अन्तर्गत रु0 86.00 करोड़ (छियासी करोड़ रूपये) ही बजट में उपबंधित है। वर्त्तमान उपबंध के अतिरिक्त उक्त शीर्ष के अंतर्गत लगभग रु0 500.00 करोड़ (पाँच सौ करोड़ रूपये) व्यय होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि उक्त शीर्ष से पुनर्विनियोग कराने हेतु पूर्व में राशि प्रत्यर्पित की गई है। बिहार बजट मैनुअल के नियम 100 (ड़) के अनुसार उन शीर्षो के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की अनुमति नहीं है, जिनसे अन्य शीर्षो के लिए उपबंधों का पुनर्विनियोग किया गया हो।

वर्ष 2022 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न सुखाड़ के परिप्रेक्ष्य में विशेष सहायता के रूप में आनुग्रहिक राहत के भुगतान हेतु बिहार बजट मैनुअल के नियम 100 (ड़) को क्षांत करते हुए रु0 500.00 करोड़ (पाँच सौ करोड़ रूपये) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की मंत्रिपरिषद से स्वीकृति हेतु संलेख प्रस्तुत किया गया है।

* * * * *

18

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस नोट ।।

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त आँकड़ों एवं कृषि विभाग, बिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2022 में राज्य में मॉनसून की वर्षा की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। वर्षा की कमी के फलस्वरूप कई जिलों के बहुत सारे प्रखण्डों में खरीफ फसल की रोपनी/बुआई प्रतिवर्ष औसत रोपनी क्षेत्र से कम हो पाई है। माह जुलाई, 2022 में राज्य में वर्षापात में औसतन 60% की कमी जबकि माह अगस्त, 2022 में 37% की कमी पाई गई। इस दौरान वर्षापात अनियमित भी रहा है। 01 जून से 31 अगस्त, 2022 तक वर्षापात में औसतन 39% जबकि 01 जून से 10 सितम्बर तक औसत सामान्य वर्षापात 851.2 मि0मी0 के विरूद्ध मात्र 546 मि0मी0 वर्षा हो पाई है, जो औसतन 36 प्रतिशत की कमी है। कई जिलों में वर्षापात की कमी 40 से 64% तक दर्ज की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की लगातार समीक्षा की गई तथा कृषि विभाग को प्रभावित पंचायतों, ग्रामों को चिन्हित करने का निदेश दिया गया। तदालोक में कृषि विभाग, बिहार सरकार के द्वारा क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण व जाँच करायी गयी। तदोपरान्त उनसे प्राप्त विस्तृत प्रतिवेदनानुसार राज्य के 11 जिले यथा जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बाँका, जमुई एवं नालन्दा के कुल 96 प्रखण्डों के 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्रामों में सूखे का प्रभाव है, जहाँ वर्षापात में 30% से अधिक कमी एवं फसल आच्छादन 70% से कम है। इससे कृषि उत्पादन में काफी कमी एवं लगाए गए फसल की उत्पादकता में कमी सम्भावित है। तदालोक में राज्य के 11 प्रभावित जिलों के कुल 96 प्रखण्डों के 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्रामों एवं इसके अन्तर्गत आने वाले सभी गाँव/टोले/बसावट को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया गया।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नियमानुसार दी जानेवाली सहायता प्रावधानों को लागू कर सूखाग्रस्त जिलों के संबंधित प्रखण्डों के प्रभावित पंचायतों के संबंधित ग्रामों में फसलों को बचाने, डीजल अनुदान, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था एवं अन्य साहाय्य कार्यों की व्यवस्था की स्वीकृति का प्रस्ताव है। साथ ही, इन जिलों के प्रभावित प्रखण्डों एवं पंचायतों के प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता के रूप में रु० 3500/– की राशि प्रति परिवार की दर से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।

*****

19

प्रेस नोट

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा वर्ष 2014 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इस विभाग के क्षेत्रीय स्थापनान्तर्गत कनीय लेखा लिपिक के 487 एवं निम्न वर्गीय लिपिक के 511 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गयी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उक्त अधियाचना के आलोक में प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2014 के रूप में कनीय लेखा लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक तथा अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या–06060114 प्रकाशित किया गया जिसमें कनीय लेखा लिपिक पद का वेतनमान 5200–20200+2400 एवं निम्न वर्गीय लिपिक पद का वेतनमान 5200–20200+1900 अंकित है।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक–2582 दिनांक–12.07.2022 द्वारा कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु 485 एवं पत्रांक–2583 दिनांक–12.07.2022 द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु 489 अभ्यर्थियों की आरक्षण कोटिवार अनुशंसा जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार के मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रों के अधीन क्षेत्रीय स्थापना अन्तर्गत कनीय लेखा लिपिक के पद पर अनुशंसित 485 (चार सौ पचासी) अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु वित्त विभाग पत्रांक–3907, दिनांक–07.06.2017 में अंकित प्रावधान यथा "लेखा लिपिक मरणशील संवर्ग होगा तथा इस पद पर नयी नियुक्ति नहीं की जाएगी" को एक बार (One time) शिथिल करने से उक्त 485 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कनीय लेखा लिपिक के पद पर की जा सकेगी। जल संसाधन विभाग, बिहार के मुख्य अभियंता, परिक्षेत्रों के अधीन क्षेत्रीय स्थापना अन्तर्गत कनीय लेखा लिपिक के पद पर 485 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने से कुल 485 अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा एवं जल संसाधन विभाग, बिहार के मुख्य अभियंता, परिक्षेत्रों के अधीन क्षेत्रीय स्थापना अन्तर्गत उक्त पदों पर कर्मियों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव,
जल संसाधन विभाग।

20

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

सं0–3 / निदे0आ0वि0(नवनिर्माण)28–02 / 2022

प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से डा0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय प्रखण्ड–सह–अंचल कल्याणपुर, जिला– समस्तीपुर में विद्यालय भवन (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000 / – (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू0) मात्र की दर पर निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति दी गई है।

विभागीय संकल्प संख्या–1165 दिनांक:–28.03.22 द्वारा वित्तीय वर्ष–2022–23 से वर्ष 2025–26 तक की अवधि में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की 50000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों, जहाँ डा0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति शेष है, में डा0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय (720 आसन) की स्थापना एवं निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10 (दस) आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं स्थापना का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाएगा।

उपरोक्त स्वीकृति के अतिरिक्त वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 66 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 21 आवासीय विद्यालय संचालित है एवं 9 नवस्वीकृत आवासीय विद्यालयों सहित सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव

(21)

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

संं0–3 / निदे0आ0वि0(नवनिर्माण)28–04 / 2022

प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से डा0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय प्रखण्ड–सह–अंचल उजियारपुर, जिला– समस्तीपुर में विद्यालय भवन (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000 / – (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू0) मात्र की दर पर निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति दी गई है।

विभागीय संकल्प संख्या–1165 दिनांकः–28.03.22 द्वारा वित्तीय वर्ष–2022–23 से वर्ष 2025–26 तक की अवधि में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की 50000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों, जहाँ डा0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति शेष है, में डा0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय (720 आसन) की स्थापना एवं निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10 (दस) आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं स्थापना का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाएगा।

उपरोक्त स्वीकृति के अतिरिक्त वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 66 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 21 आवासीय विद्यालय संचालित है एवं 9 नवस्वीकृत आवासीय विद्यालयों सहित सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव